राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांक एफ. NEP/शैक्ष. प्रथम/2023/ दिनांक :

अधिसूचना

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के क्षेत्राधिकार वाले जिलों यथा दौसा एवं जयपुर के स्वयंपाठी छात्रों (प्राईवेट छात्रों) के लिये शैक्षणिक परिषद की विशेष बैठक, जो दिनांक 19.06.2023 को आयोजित हुई थी के निर्णय संख्या 1 की अनुपालना में अकादमिक सत्र 2023–24 से नई शिक्षा नीति स्नातक स्तर पर सेमेस्टर पद्वति/सी.बी.सी. पद्वति लागू कर दी गई है। इस वर्ष से अर्थात 2023–24 से स्वयंपाठी छात्रों (प्राईवेट छात्रों) के लिये परीक्षा से सम्बन्धित मुख्य बिन्दु/सूचनाऐं निम्नलिखित है :–

1. स्नातक स्तर (बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम.) के समस्त स्वयंपाठी छात्रों की परीक्षाऐं सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित होगी।
2. स्वयंपाठी छात्रों की सेमेस्टर प्रणाली के तहत् सेमेस्टर प्रथम एवं सेमेस्टर द्वितीय की परीक्षाऐं वर्ष में एक बार, एक साथ आयोजित होगी।
3. NEP 2020 के तहत् स्वयंपाठी छात्रों (प्राईवेट छात्रों) हेतु स्नातक पाठ्यक्रम योजना त्रिवर्षीय/चारवर्षीय कला/वाणिज्य/विज्ञान में होगी।
4. स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये मिड टर्म नहीं होगा। तदानुसार पेपर अंक का विभाजन (Distribution) 80 की जगह 100 तथा 120 की जगह 150 होगा। प्रायोगिक परीक्षा 40 अंक की जगह 50 अंक की होगी।
5. मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (Value Added Courses), कौशल विकास पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Courses) में विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये गये पाठ्यक्रमों में से ही चयन करना होगा।
6. वर्ष 2023 में प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण छात्रों को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत् सेमेस्टर परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा।
7. राजस्थान विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर स्नातक स्तर के (बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम.) प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अपलोड किये जा चुके हैं, वही पाठ्यक्रम स्वयंपाठी विद्यार्थियों के लिए भी लागू होंगे।

(कालू राम)
कुलसचिव

क्रमांक एफ. NEP/शैक्ष. प्रथम/2023/31834-32165 दिनांक: 22/11/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त संघटक एवं सम्बद्व महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. प्रो. एन.के. पाण्डेय, संयोजक NEP-2020
3. प्रो. जी. पी. सिंह, निदेशक, शैक्षणिक।
4. स्वयंपाठी छात्रों के लिये गठित समिति के सदस्य।
5. समस्त शैक्षणिक विभागध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–द्वितीय/गोपनीय अनुभाग/परीक्षा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. जन संपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
11. निजी सचिव, कुलपति महोदया, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
12. निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

उप–कुलसचिव (शैक्षणिक–प्रथम)